रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022025-260690
CG-DL-E-01022025-260690

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 31, 2025/माघ 11, 1946
No. 61] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 31, 2025/MAGHA 11, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 94(अ).—निम्नलिखित मसौदा नियम जिसे केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और खंड (ड) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, इनको इससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 को भेजा जा सकता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और व्यावृति

(1) इन नियमों को दूरसंचार (नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम का आवंटन) नियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत की गई कार्रवाई के निबंधनों और शर्तों को अधिभूत नहीं करेंगे जिनमें भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अंतर्गत नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम का आवंटन भी शामिल है, लेकिन ये भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के अनुसरण में स्वीकृत नीलाम किए गए स्पेक्ट्रम को वापस करने के विषय सहित मौजूदा सभी दिशानिर्देशों, कार्यालय ज्ञापनों या कार्यालय आदेशों का अधिक्रमण करेंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) “अधिनियम” से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(ख) "मांग पत्र" से नियम 4 के उपनियम (2) के अंतर्गत जारी पत्र अभिप्रेत है;

(ग) "लाइसेंस" से दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क के प्रावधान के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत दिए गए लाइसेंस, पंजीकरण, या अनुमति अभिप्रेत है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो और लाइसेंसधारक शब्द का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(घ) "एनआईए" का तात्पर्य दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए प्रकाशित आवेदन आमंत्रण सूचना से है;

(ङ) "पोर्टल" से वह पोर्टल अभिप्रेत है जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा इन नियमों के नियम 7 के अधीन अधिसूचित किया जा सकता है;

(च) "एसएसीएफए" से दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आवृत्ति आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति अभिप्रेत है; और

(छ) "एसएएल" से नियम 4 के उप-नियम (4) के अंतर्गत प्रदान किया गया स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों जिनका उपयोग इन नियमों में किया गया है और जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किया गया है।

3. स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया

(1) केंद्रीय सरकार समय-समय पर उन आवृत्ति बैंडों को चिन्हित कर सकती है जिन्हें वह नीलामी के माध्यम से पेश करना चाहती है।

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित एनआईए के प्रावधानों के अनुसार नीलामी आयोजित की जाएगी।

(3) केंद्रीय सरकार स्वयं नीलामी का संचालन कर सकती है अथवा नीलामी के संचालन के लिए समय-समय पर अपने द्वारा निर्धारित निबंधनों शर्तों पर एक या एक से अधिक अभिकरणों की नियुक्ति कर सकती है।

(4) केंद्रीय सरकार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिशों सहित प्रासंगिक कारकों पर विचार करके प्रत्येक नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण करेगी।

4. नीलामी में भागीदारी और एसएएल का जारी करना

(1) नीलामी के माध्यम से स्पेक्ट्रम का आवंटन चाहने वाले व्यक्ति को एनआईए में विनिर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा।

(2) केंद्रीय सरकार नीलामी के समापन पर सफल बोलीदाताओं को एक मांग पत्र जारी करेगी जिसमें स्पेक्ट्रम शुल्क तथा वह समयावधि विनिर्दिष्ट होगी जिसके भीतर ऐसे शुल्कों का भुगतान किया जाना है।

(3) प्रत्येक सफल बोलीदाता:

(क) मांग पत्र में विनिर्दिष्ट स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान ऐसे पत्र में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर करना;

(ख) ऐसे मामलों में जहां ऐसे बोलीदाता के पास अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राधिकार नहीं है वह मांग पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर ऐसे प्राधिकार के लिए आवेदन करेगा; तथा

(ग) पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में खंड (क) और खंड (ख) के अनुपालन की पुष्टि करेगा।

(4) केंद्रीय सरकार उप-नियम (3) के खंड (ग) के तहत विनिर्दिष्ट पुष्टि प्राप्त होने पर एसएएल जारी करेगी जिसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

(क) सौंपे गए स्पेक्ट्रम का विनिर्दिष्ट उपयोग;

(ख) आवंटन की वैधता अवधि;

(ग) लागू फ्रीक्वेंसी रेंज;

(घ) लागू पावर लेवल;

(ङ) प्रचालन का क्षेत्र; और

(च) दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार करने के लिए तकनीकी पैरामीटर।

बशर्ते केंद्रीय सरकार एसएएल में विनिर्दिष्ट बैंड में फ्रीक्वेंसी रेंज की व्यवस्था को संशोधित कर सकती है।

(5) यदि एक सफल बोलीदाता उप-नियम (3) के खंड (ख) के तहत यथा-विनिर्दिष्ट प्राधिकार के लिए आवेदन नहीं करता है, तो उसके द्वारा नीलामी में अपनी भागीदारी के लिए जमा की गई बयाना राशि जब्त हो जाएगी।

(6) यदि उप-नियम (3) के खंड (ख) के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकार को प्राप्त करने के लिए एक सफल बोलीदाता द्वारा किए गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो एसएएल समाप्त हो जाएगा और उप-नियम (3) के खंड (क) के अनुसार भुगतान किए गए स्पेक्ट्रम शुल्क को, उस अवधि के जिसके लिए सफल बोलीदाता ने एसएएल आयोजित किया था, लिए लागू स्पेक्ट्रम शुल्क की यथानुपात राशि की उचित कटौती के बाद, साठ दिनों की अवधि के भीतर, बिना ब्याज के वापस कर दिया जाएगा।

(7) यदि एक सफल बोलीदाता, उप-नियम (3) के खंड (ख) के तहत यथा-विनिर्दिष्ट प्राधिकार के लिए आवेदन करने के बाद, इस तरह के आवेदन को वापस ले लेता है, तो:

(क) उप-नियम (3) के खंड (क) के अनुसार भुगतान किए गए स्पेक्ट्रम शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा; और

(ख) दो साल की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा।

(8) सफल बोलीदाता जिसे एसएएल प्रदान किया गया है, वह केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार, यदि लागू हो, एसएसीएफए मंजूरी के लिए आवेदन करेगा।

5. स्पेक्ट्रम का सरेंडर

(1) एक आवंटिती या लाइसेंसधारक जिसने 15 जून 2022 के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा आयोजित नीलामी के अनुसार या इस तरह के नीलाम किए गए स्पेक्ट्रम की ट्रेडिंग, पुनर्संरचना या अधिग्रहण के माध्यम से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया है, उसके लिए लागू नियमों के अधीन, ऐसे स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने की तारीख से दस साल की अवधि के बाद ऐसे स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर सकता है:

बशर्ते जहां एक आवंटिती, जिसने दस साल या उससे अधिक के लिए स्पेक्ट्रम रखा है, यदि वह उस स्पेक्ट्रम बैंड और उस सेवा क्षेत्र में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करता है, तो ऐसे आवंटिती अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की तारीख से दो साल की अवधि के बाद पात्र स्पेक्ट्रम की प्रारंभिक होल्डिंग को सरेंडर कर सकता है।

उदाहरण:

X, जो एक ऐसा आवंटिती या लाइसेंसधारक है जिसने केरल सेवा क्षेत्र में 800 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम बैंड में दस साल या उससे अधिक समय तक 10 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम रखा है, तो आवंटिती या लाइसेंसधारक स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने के लिए पात्र है।

तथापि, यदि यह X बाद में ट्रेडिंग के माध्यम से केरल सेवा क्षेत्र में उस स्पेक्ट्रम बैंड में अतिरिक्त 4 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम प्राप्त करता है तो X 4 मेगाहट्र्ज का अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्राप्त करने की तारीख से दो वर्ष बाद ही अपने 10 मेगाहट्र्ज के स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर सकता है।

(2) सरेंडर के लिए पात्र स्पेक्ट्रम की मात्रा, उस स्थिति को छोड़कर जहां कोई आवंटिती अथवा लाइसेंसधारक ब्लॉक आकार से कम स्पेक्ट्रम रखता है, एनआईए में विनिर्दिष्ट ब्लॉक आकार के गुणकों में होगी, जो ऐसे सरेंडर से ठीक पहले जारी किए गए उस बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी से संबंधित होगी।

(3) पात्र आवंटिती या लाइसेंसधारक उप-नियम (1) के अधीन स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने के लिए पोर्टल पर यथा-विनिर्दिष्ट डेटा और जानकारी के साथ सरेंडर की प्रस्तावित तारीख से कम से कम बारह महीने पहले एक हजार रुपये की फीस के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(4) केंद्रीय सरकार, उप-नियम (3) के अधीन आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर, अपने सशर्त अनुमोदन की सूचना देगी, जिसमें सरेंडर किए जाने के लिए प्रस्तावित स्पेक्ट्रम की मात्रा के संबंध में सरेंडर की प्रस्तावित तारीख तक बकाया देयताओं, यदि कोई हो, का ब्यौरा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) आवंटिती या लाइसेंसधारक उप-नियम (4) के अधीन प्राप्त सशर्त अनुमोदन की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट सभी देयों का भुगतान सुनिश्चित करेगा और पोर्टल पर इस तरह के भुगतान की पुष्टि उपलब्ध कराएगा।

(6) केंद्रीय सरकार, सभी देयताओं के भुगतान की पुष्टि के अध्यधीन, ऐसी पुष्टि के पंद्रह दिनों के भीतर स्पेक्ट्रम के सरेंडर के लिए अंतिम अनुमोदन जारी करेगी, जो ऐसे अनुमोदन में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होगी।

(7) स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने के लिए अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, आवंटिती या लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि सरेंडर किए गए स्पेक्ट्रम अंतिम अनुमोदन में विनिर्दिष्ट स्पेक्ट्रम के सरेंडर की तारीख को खाली कर दिया गया है और पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रपत्र में केंद्रीय सरकार को तुरंत सूचित करेगा।

(8) आवंटिती या लाइसेंसधारक जो स्पेक्ट्रम को सरेंडर कर रहा है, वह ऐसे स्पेक्ट्रम के आवंटन के संबंध में या उसके अंतर्गत भुगतान किए गए शुल्क अथवा किसी अन्य प्रभार की वापसी का हकदार नहीं होगा।

(9) स्पेक्ट्रम को सरेंडर करने वाले आवंटिती या लाइसेंसधारक सरेंडर की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए उस सेवा क्षेत्र और स्पेक्ट्रम बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा जो सरेंडर से संबंधित है:

बशर्ते यह उप-नियम इस बात के निरपेक्ष लागू होगा कि सरेंडर संबंधित स्पेक्ट्रम बैंड और सेवा क्षेत्र में आंशिक रूप से किया जा रहा है या पूर्ण रूप से।

6. विविध

(1) एक आवंटिती या लाइसेंसधारक, स्पेक्ट्रम के आवंटन के अनुसार:

(क) ऐसे एसएएल के तहत विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों का पालन करेगा;

(ख) ऐसे आवंटिती द्वारा रखे गए संबंधित प्राधिकार या लाइसेंस के तहत विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों का पालन करेगा, जिसमें एनआईए के तहत विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तें शामिल होंगी;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि इसका दूरसंचार नेटवर्क किसी अन्य अधिकृत संस्था या आवंटिती के लिए व्यवधान का कारण नहीं बनेगा, और हानिकारक व्यवधान को समाप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार के किसी भी निर्देश का पालन करेगा।

(2) इन नियमों के तहत स्पेक्ट्रम के आवंटन के निबंधन और शर्तों के किसी भी उल्लंघन पर दूरसंचार (अधिनिर्णय और अपील) नियम, 2025 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

(3) यदि किसी आवंटिती का अंतर्निहित प्राधिकार अथवा लाइसेंस किसी कारण से रद्द कर दिया जाता है तो स्पेक्ट्रम का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा, स्पेक्ट्रम पर आवंटिती का हक समाप्त हो जाएगा और सौंपा गया स्पेक्ट्रम केंद्रीय सरकार को वापस कर दिया जाएगा।

(4) आवंटिती यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा कि उसके पास हर समय एक वैध प्राधिकार हो, और यदि इसका अंतर्निहित प्राधिकार या लाइसेंस एसएएल की वैधता की समाप्ति से पहले समाप्त होने के लिए निर्धारित है, तो ऐसे आवंटिती लागू प्राधिकार नियमों के अनुसार प्राधिकार के लिए आवेदन करेंगे।

(5) एक आवंटिती, जो इन नियमों के तहत आवंटन के अनुसार स्पेक्ट्रम रखता है, दूरसंचार (स्पेक्ट्रम का साझाकरण, ट्रेडिंग और पट्टे) नियम, 2025 के अनुसार स्पेक्ट्रम का साझाकरण, ट्रेडिंग कर सकती है या पट्टे पर दे सकती है।

(6) स्पेक्ट्रम के आवंटन का कोई भी अंतरण दूरसंचार (प्राधिकृत संस्थाओं की पुनर्संरचना या अधिग्रहण का विनियमन) नियम, 2025 के अनुसार होगा।

7. इन नियमों का डिजिटल कार्यान्वयन

केंद्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 53 के अनुसरण में, इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए एक पोर्टल को अधिसूचित कर सकती है, जिसमें संबंधित प्रपत्रों का प्रकाशन, आवेदन जमा करना और इन नियमों के तहत विनिर्दिष्ट संबंधित अनुमोदन प्रदान करना शामिल है।

[फा. सं. 24-01/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2025

G.S.R. 94(E).—The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4, read with sub-section (2) of section 8, read with clause (g) and clause (m) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), are hereby published

for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

1. Short title, commencement and savings

(1) These rules may be called the Telecommunications (Assignment of Spectrum through Auction) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall not override the terms and conditions of actions taken under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), including assignment of spectrum through auction process undertaken pursuant to the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) but shall be in supersession of all existing guidelines, office memoranda, or office orders, including on the subject of surrender of auctioned spectrum granted pursuant to the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885).

2. Definitions

(1) In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(b) "demand letter" means the letter issued under sub-rule (2) of rule 4;

(c) "License" means a license, registration, or permission, by whatever name called, granted under the Indian Telegraph Act, 1885 for provision of telecommunication services or telecommunication network and the word licensee shall be construed accordingly;

(d) "NIA" means the Notice Inviting Applications published by the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India for auction of spectrum, conducted from time to time;

(e) "portal" means the portal which may be notified by the Central Government under rule 7 of these rules;

(f) "SACFA" means the Standing Advisory Committee for Frequency Allocation under the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India; and

(g) "SAL" means the Spectrum Assignment Letter granted under sub-rule (4) of rule 4.

(2) The words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Process for auction of spectrum

(1) The Central Government may, from time to time, identify the frequency bands that it intends to offer by means of auction.

(2) The auction shall be conducted in accordance with the provisions of the NIA published by the Central Government.

(3) The Central Government may conduct the auction by itself or appoint one or more agencies, on terms and conditions as may be determined by it from time to time, for conducting the auction.

(4) The reserve price for each auction shall be determined by the Central Government, based on consideration of relevant factors, including the recommendations of the Telecom Regulatory Authority of India.

4. Participation in auction and grant of SAL

(1) A person seeking assignment of spectrum through auction shall fulfil the eligibility criteria as specified in the NIA.

(2) The Central Government shall, upon conclusion of the auction, issue a demand letter to the successful bidders, specifying the spectrum charges and the time period within which payment of such charges is payable.

(3) Each successful bidder shall:

(a) make the payment of spectrum charges as specified in the demand letter within the time period specified in such letter;

(b) in cases where such bidder does not hold an authorisation under section 3 of the Act, apply for such authorisation within seven days of receipt of the demand letter; and

(c) confirm compliance with clause (a) and clause (b) in the form as specified on the portal.

(4) Upon receipt of the confirmation specified under clause (c) of sub-rule (3), the Central Government shall issue the SAL which shall specify:

(a) specified usage of the spectrum assigned;

(b) validity period of the assignment;

(c) applicable frequency range;

(d) applicable power levels;

(e) area of operation; and

(f) technical parameters to establish, operate, maintain or expand telecommunication network.

Provided that the Central Government may revise the arrangement of frequency ranges in the bands specified in the SAL.

(5) In the event a successful bidder does not apply for authorisation as specified under clause (b) of sub-rule (3), it shall forfeit the earnest money deposit made for its participation in the auction.

(6) In the event an application made by a successful bidder to obtain authorisation as specified under clause (b) of sub-rule (3) is rejected, the SAL shall stand terminated, and the spectrum charges, paid pursuant to clause (a) of sub-rule (3), shall be refunded without interest, within a period of sixty days, after appropriate deductions of the pro-rata amount of spectrum charges applicable for the duration for which the successful bidder had held the SAL.

(7) In the event a successful bidder, after having applied for authorisation as specified under clause (b) of sub-rule (3), withdraws such application, it shall:

(a) forfeit the spectrum charges paid pursuant to clause (a) of sub-rule (3); and

(b) be ineligible from participating in any auction, either directly or indirectly, for a period of two years

(8) The successful bidder which has been granted a SAL, shall apply for SACFA clearance, if applicable, in accordance with the timelines specified by the Central Government.

5. Surrender of spectrum

(1) An assignee or licensee who has obtained spectrum pursuant to an auction conducted by the Central Government after 15th June 2022, or through trading, restructuring or acquisition of such auctioned spectrum, subject to the rules applicable for the same, may surrender such spectrum after a period of ten years from the date of obtaining such spectrum:

Provided that where an assignee who has held spectrum for ten years or more, acquires additional spectrum in the same spectrum band and same service area, such assignee may surrender the initial holding of eligible spectrum after a period of two years from the date of obtaining the additional spectrum.

Illustration:

X, an assignee or licensee who has held 10 MHz spectrum in the 800 MHz spectrum band in the Kerala service area for ten years or more, the assignee or licensee is eligible to surrender the spectrum.

However, if X subsequently obtains an additional 4 MHz spectrum in the same spectrum band in the Kerala service area through trading, X can surrender its spectrum of 10 MHz only after two years from the date of obtaining the additional spectrum of 4MHz.

(2) The quantity of spectrum eligible for surrender shall be in multiples of the block size specified in the NIA pertaining to auction of spectrum in the same band issued immediately prior to such surrender, except where an assignee or licensee holds spectrum that is less than the block size.

(3) An assignee or licensee eligible to surrender spectrum under sub-rule (1), shall submit an application in such form, together with such data and information as may be specified on the portal, and fees of rupees one thousand, at least twelve months prior to the proposed date of surrender.

(4) The Central Government shall, within a period of sixty days from the date of receipt of the application under sub-rule (3), communicate its conditional approval, which shall specify the details of outstanding dues till the proposed date of surrender, if any, in respect of quantity of spectrum proposed to be surrendered.

(5) The assignee or licensee shall ensure payment of all dues specified by the Central Government within a period of three months from date of the conditional approval received under sub-rule (4) and provide confirmation of such payment on the portal.

(6) The Central Government shall, subject to confirmation of payment of all dues, issue the final approval for the surrender of spectrum, within fifteen days of such confirmation, effective from the date as specified in such approval.

(7) After receipt of the final approval to surrender the spectrum, the assignee or licensee shall ensure that the surrendered spectrum is vacated on the date of surrender of spectrum as specified in the final approval and shall forthwith inform the Central Government in such form as may be specified on the portal.

(8) The assignee or licensee surrendering spectrum shall not be entitled to any refund of fees or any other charges paid in respect of or under an assignment of such spectrum.

(9) An assignee or licensee surrendering spectrum shall not be eligible to participate either directly or indirectly in the auction of spectrum in the same service area and spectrum band which is the subject of surrender, for a period of two years from the date of surrender:

Provided that this sub-rule shall apply irrespective of whether the surrender is in respect of partial or complete spectrum in the relevant spectrum band and service area.

6. Miscellaneous

(1) An assignee or licensee shall, pursuant to the assignment of spectrum:

(a) adhere to the terms and conditions as specified under such SAL;

(b) adhere to the terms and conditions as specified under the relevant authorisation or license held by such assignee, which shall include the terms and conditions specified under the NIA;

(c) take all necessary measures to ensure that its telecommunication network shall not cause interference to any other authorised entity or assignee, and comply with any directions of the Central Government for elimination of harmful interference.

(2) Any breach of terms and conditions of assignment of spectrum under these rules shall be dealt with under the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.

(3) In case the underlying authorisation or license of an assignee is revoked for any reason, the assignment of spectrum shall stand cancelled, the assignee’s entitlement over the spectrum shall cease and assigned spectrum shall revert to the Central Government.

(4) The assignee shall be solely responsible for ensuring that it holds a valid authorisation at all times, and in case its underlying authorisation or license is set to expire before the expiry of validity of the SAL, such assignee shall apply for the authorisation in accordance with the applicable authorisation rules.

(5) An assignee that holds spectrum pursuant to assignment under these rules, may undertake sharing, trading or leasing of spectrum in accordance with the Telecommunications (Sharing, Trading and Leasing of Spectrum) Rules, 2025.

(6) Any transfer of assignment of spectrum shall be in accordance with the Telecommunications (Regulation of Restructuring or Acquisition of Authorised Entities) Rules, 2025.

7. Digital implementation of these rules

The Central Government, in furtherance of section 53 of the Act, may notify a portal for the digital implementation of these rules, including publication of relevant forms, submission of applications, and grant of relevant approvals specified under these rules.

[F. No. 24-01/2025-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.02.01 18:10:57 +05'30'